रजिस्ट्री सं० डी--(डीएन)---128/89

REGISTERED No. D--(DN)--128/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 15, 1989 (चैत्र 25, 1911)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 15, 1989 (CHAITRA 25, 1911)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I--खण्ड 1--रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	337
भाग I--खण्ड 2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	367
भाग I--खण्ड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	*
भाग I--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों, आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	525
भाग II--खण्ड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड 1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खण्ड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड 1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	315
भाग III--खण्ड 2--पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	361
भाग III--खण्ड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	427
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी, निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	43
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई है।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	337
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	367
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	525
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	315
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	361
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	427
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	43
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 फरवरी 1989

संकल्प

सं० एम० 13043/12/87 कृषि (ix):-पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के लिये जोनल आयोजन दल के गठन के सम्बन्ध में योजना आयोग के दिनांक 3-6-88 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए दल के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन किये जाते हैं:--

(1) क्रम संख्या 1 पर डा० के० आर० पंवार के स्थान पर डा० पी० बी० शास्त्री का नाम प्रतिस्थापित किया जाये।

(2) क्रम संख्या 15 पर डा० बी० एस० भिडे, निदेशक, कृषि आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र, गोखले राजनीति तथा अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे के स्थान पर डा० के० आर० पंवार, अनुसन्धान निदेशक, मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभानी 431402 का नाम प्रतिस्थापित किया जाये, और

(3) क्रम संख्या 16 पर डा० आर० एस० देशपांडे, रीडर, कृषि आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र, गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान, पुणे का नाम दल के सदस्य एवं आयोजन दल के संयुक्त सचिव के रूप में शामिल किया जाये।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति आयोजन दल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों को संप्रेषित की जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत सरकार के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाये।

जगदीश चन्द्र डंगवाल
निदेशक (प्रशासन)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 1989

संकल्प

फा० सं० ई०-11017/16/87-रा० भा०:--वित्त मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में, जो 30 जनवरी, 1981 को राज्य मंत्री (राजस्व तथा व्यय) की अध्यक्षता में हुई थी, यह निर्णय किया गया था कि वित्तीय विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखी गई पुस्तकों पर पुरस्कार देने की वित्तीय साहित्य पुरस्कार योजना के नाम से एक योजना तैयार की जाये। तदनुसार तैयार की गई योजना इस विभाग के तारीख 27-9-1983 के संकल्प संख्या ई०-11017/45/79-रा० भा० के अन्तर्गत परिचालित की गई थी। उक्त योजना की अब समीक्षा की गई है और उसमें कतिपय संशोधन कर दिये गये हैं। संशोधित योजना अब निम्नानुसार है:--

2 योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य वित्तीय विषयों पर हिन्दी में मानक मूल पुस्तक लेखन को बढ़ावा देना है।

3 पात्रता

पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिये जायेंगे। लोक सेवक भी, जिनमें वित्त मंत्रालय में तथा उसके अन्तर्गत तथा उसके नियंत्रणाधीन संगठनों में और भारतीय लेखा परीक्षा विभाग में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, इस योजना में भाग ले सकेंगे।

4 विषय

प्रति वर्ष निम्नलिखित विषयों पर मूलतः हिन्दी में लिखी गई पुस्तकों पर पुरस्कार दिये जायेंगे:--

(क) प्रत्यक्ष कर
(ख) अप्रत्यक्ष कर
(ग) बैंकिंग
(घ) जीवन बीमा
(ङ) साधारण बीमा
(च) मुद्रा व सिक्का-ढलाई
(छ) लोक वित्त
(ज) विनियम नियंत्रण
(झ) विक्रय कर
(ञ) नारकोटिक्स
(ट) स्वर्ण नियंत्रण
(ठ) विदेशी सहायता
(ड) वित्त प्रबन्ध
(ण) वित्तीय संगठन
(त) वित्तीय प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन
(थ) विकासपरक वित्तीयन
(द) बजट प्रणाली
(ध) राष्ट्रीय आय लेखा पद्धति।
(न) घाटे की अर्थव्यवस्था आदि

नोट: अन्य वित्तीय विषयों पर लिखी गई, जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं हैं पुस्तकों पर भी विचार किया जायेगा।

5 पुरस्कार

इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले पुरस्कार इस प्रकार हैं:-

प्रथम पुरस्कार	75000/-- रु०
द्वितीय पुरस्कार	5000/-- रु०
तृतीय पुरस्कार	3000/-- रु०

6 पुरस्कार वर्ष

(i) वित्तीय वर्ष को पुरस्कार वर्ष माना जायेगा, प्रविष्टियों की पर्याप्त संख्या न होने पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

(ii) किसी पुरस्कार वर्ष विशेष में पुरस्कार विचार हेतु प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तकें उससे पिछले वित्तीय वर्ष में प्रकाशित की गई होनी चाहियें।

(iii) इस योजना के अन्तर्गत पुस्तकें पुरस्कार वर्ष के बाद 30 जून तक स्वीकार की जायेंगी।

(iv) केवल प्रकाशित/मुद्रित पुस्तकें ही विचारार्थ स्वीकार की जायेंगी। टंकित अथवा हस्तलिखित पुस्तकों पर विचार नहीं किया जायेगा।

7 पुरस्कारों का दावा

ये पुरस्कार वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से दिये जायेंगे।

8 पुस्तकों का मूल्यांकन

(i) इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कारों के लिये विचारार्थ प्राप्त पुस्तकें मूल्यांकन हेतु पहले एक विशेषज्ञ समिति को भेजी जायेंगी, जिसका गठन प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा किया जायेगा। समिति के सदस्यों के नाम तथा मूल्यांकन समिति की कार्यवाही गुप्त रखी जायेगी।

(ii) मूल्यांकन समिति, प्राप्त पुस्तकों का गुण दोष के आधार पर मूल्यांकन करेगी तथा उसी क्रम में लेखकों और उनकी पुस्तकों के नामों की निर्धारित तारीख तक पुरस्कार समिति के सचिव को सिफारिश करेगी और उन्हें भेजी गई पुस्तकों की सभी प्रतियां उक्त समिति के सचिव को वापिस करेगी।

(iii) मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पुरस्कार समिति के समक्ष रखी जायगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

1 वित्त राज्य मंत्री/वित्त मंत्रालय के उप मंत्री	अध्यक्ष
2 अपर सचिव (प्रशासन), राजस्व विभाग	सदस्य
3 संयुक्त सचिव (राजभाषा कार्यान्वयन) आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
4 संयुक्त सचिव (राजभाषा कार्यान्वयन) व्यय विभाग	सदस्य
5 संयुक्त सचिव (राजभाषा विभाग)	सदस्य

(v) राजस्व विभाग के निदेशक (राजभाषा) इस पुरस्कार समिति के सचिव होंगे।

(v) यह पुरस्कार समिति, मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर पुरस्कार मंजूर करने के प्रयोजनार्थ पुस्तकों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में विचार करेगी।

9 योजना के प्रयोजनार्थ मूल पुस्तक की परिभाषा:

मूल हिन्दी पुस्तक से अभिप्राय यह पुस्तक है:

(क) जो प्रतियोगी/लेखक द्वारा स्वयं मूलतः हिन्दी में लिखी गई हो।

(ख) जो किसी लेखक द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक या लेख का प्रतियोगी द्वारा किया गया अनुवाद न हो।

(ग) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं मूल रूप से किसी अन्य भाषा लिखित पुस्तक का प्रतियोगी द्वारा या किसी व्यवसायिक अनुवादक द्वारा किया गया अनुवाद न हो।

(घ) जो प्रतियोगी द्वारा अपनी शासकीय हैसियत में या अपने शासकीय कार्य के अंग के रूप में मूल रूप से हिन्दी में या किसी अन्य भाषा में नहीं लिखी गई हो।

(ङ) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं अथवा किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा किया गया, प्रतियोगी द्वारा शासकीय हैसियत में और अपने शासकीय कार्य के अंग के रूप में अंग्रेजी में अथवा किसी अन्य भाषा में लिखी गई किसी पुस्तक अथवा लेख का, हिन्दी अनुवाद न हो।

(च) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य द्वारा तैयार किया गया, प्रतियोगी द्वारा उसकी शासकीय हैसियत में और उसके शासकीय कार्य के अंग के रूप में अंग्रेजी में अथवा किसी अन्य भाषा में पहले से ही लिखी गई और/अथवा प्रकाशित पुस्तक या लेख के विशद अथवा संक्षिप्त अथवा सार रूप में हिन्दी पाठ न हो; और

(छ) जो किसी सरकारी ठेके के अन्तर्गत या किसी सरकारी योजना के अनुसार लिखी गई पुस्तक न हो।

(ज) पाठ्य सामग्री की दृष्टि से पुस्तकें स्नातक स्तर की होनी चाहियें और पुस्तक का कलेवर $\frac{20'' \times 30''}{18}$ या $\frac{23'' \times 36''}{16}$ आकार के 100 या अधिक मुद्रित पृष्ठों का होना चाहिये। कहानी, गीत, कविता या नाटक आदि शुद्ध साहित्यिक रचनायें स्वीकार्य नहीं हैं।

10 प्रविष्टियां

(i) पुरस्कार के लिये विचारार्थ प्रकाशित मुद्रित पुस्तकें स्वीकार की जायेंगी। प्रतियोगी लेखकों को निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा करनी होगी कि योजना के अन्तर्गत भेजी गई पुस्तक ऊपर दी गई परिभाषाओं के मुताबिक मूल कृति है।

(ii) कापीराइट यदि कापीराइट का प्रश्न है तो लेखक को कापीराइट धारक की अनुज्ञा की मूल प्रति तथा एक अनुप्रमाणित सत्य-प्रति प्रस्तुत करनी होगी। जांच के बाद मूल प्रति लेखक को लौटा दी जायेगी तथा अनुप्रमाणित प्रति विभाग में रिकार्ड के लिये रख ली जायेगी। प्रतियोगिता में भेजी गई पुस्तक में किसी भी रूप में किसी अन्य लेखक के कापीराइट उल्लंघन के लिये पुस्तक के लेखक/प्रकाशक जिम्मेदार होंगे और लेखक/प्रकाशक को इस आशय का प्रमाण पत्र भी देना होगा कि कापीराइट का उल्लंघन नहीं किया गया है। यदि किसी पुस्तक के लेखक/प्रकाशक ने कापीराइट की अनुमति ली गई है तो उसे प्रविष्टि के साथ भेजना होगा। कापीराइट उल्लंघन का पता चलने पर पुस्तक की प्रतियोगिता से निकाल दिया जायेगा और गया पुरस्कार भी वापस ले लिया जायेगा।

(iii) प्रतियोगी को पुस्तक की 6 मुद्रित प्रतियां निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ भेजनी होंगी। प्रविष्टियां तथा आवेदन-पत्र विधिवत भर कर निदेशक (राजभाषा) एवं सचिव, वित्तीय साहित्य, पुरस्कार समिति, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी होंगी।

(iv) प्रतियोगी को प्रत्येक प्रविष्टि के साथ उसके विषय के सारांश की भी 6 प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

(v) निर्धारित तारीख के बाद प्रस्तुत की गई पुस्तकें उस वर्ष पुरस्कार के लिये स्वीकार नहीं की जायेंगी।

(vi) जिन पुस्तकों पर पुरस्कार के प्रयोजनार्थ एक बार विचार हो चुका है उन पर पुरस्कार की मंजूरी के सम्बन्ध में पुनः विचार नहीं किया जायेगा।

(vii) यदि मूल्यांकन समिति वर्ष के दौरान किसी भी पुस्तक को पुरस्कार योग्य नहीं समझती तो उस वर्ष कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जायेगा।

viii) कोई भी प्रतियोगी जिस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार के लिये अपनी पुस्तक प्रस्तुत करता है उस वर्ष वह मूल्यांकन समिति की सदस्यता के लिये पात्र नहीं होगा।

(ix) पुरस्कार समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(x) यदि किसी पुस्तक पर अन्यत्र पुरस्कार मिल चुका है, तो वह पुस्तक इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार के लिये पात्र नहीं होगी। लेखकों को प्रविष्टियां भेजते समय इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(xi) प्रतियोगिता में प्रविष्टि के रूप में भेजी गई पुस्तक/पुस्तकें लौटाई नहीं जायेंगी।

11. पुरस्कारों की घोषणा

(i) पुरस्कार विजेता लेखकों के नाम प्रमुख समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के जरिये घोषित किये जायेंगे।

(ii) पुरस्कारों के लिये प्रतियोगिता में भाग लेने वाले व्यक्तियों को परिणाम के बारे में अलग से सूचित किया जायेगा।

(iii) यदि पुरस्कृत पुस्तक एक से अधिक लेखकों द्वारा लिखी गई है तो पुरस्कार की राशि सभी में बराबर बंट जायेगी।

12. योजना की प्रबन्ध-व्यवस्था

(i) योजना की संचालन व्यवस्था वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा की जायेगी।

(ii) योजना तथा पुरस्कारों से संबंधित सभी पत्रों पर कार्रवाई निदेशक (राजभाषा) राजस्व विभाग एवं सचिव, वित्तीय साहित्य पुरस्कार योजना, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली द्वारा की जायेगी।

13. मूल्यांकन कर्त्ताओं तथा योजना का संचालन करने वाले अधिकारियों के लिये मानदेय।

(i) प्रत्येक मूल्यांकन कर्त्ता को प्रति पुस्तक 200/- रु० का मानदेय दिया जायेगा परन्तु मानदेय की अधिकतम सीमा केवल एक हजार रुपये होगी।

(ii) योजना से संबंधित कार्य करने वाले विभागीय अधिकारियों को भी समुचित मानदेय दिया जाएगा जिसका निर्णय सरकार द्वारा किया जायेगा।

(iii) यदि मूल्यांकन समिति के सदस्यों को, पुरस्कार के लिये प्राप्त प्रविष्टियों के अन्तिम मूल्यांकन हेतु दिल्ली के बाहर से बुलाया जाता है तो उन्हें नियमानुसार बैठक की अवधि के लिये यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता मंजूर किया जायेगा।

14. योजना के लिये निधि

योजना पर होने वाला व्यय जैसा कि ऊपर बताया गया है, राजस्व विभाग के बजट अनुदान में से किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

चन्द्र शेखर पाण्डेय,
सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 1989

संकल्प

सं० एफ० 5(2)/पी० डी०/89 -आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 1989-90 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दिये जाने वाले ब्याज की दर 12 प्रतिशत (बारह प्रतिशत) वार्षिक ही रहेगी। यह दर पहली अप्रैल, 1988 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू रहेगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:

1. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं
2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत)
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवायें)।
6. भारतीय आशु विभाग भविष्य निधि
7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि
8. भारतीय नौ सेना गोदी कामगार भविष्य निधि
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि
10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

बी० बालासुब्रह्मण्यन, विशेष कार्य अधिकारी

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 1989

आदेश

सं० 0-12012/35/87 ओ० एन० जी० डी IV:—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उप-नियम (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार तेल एवं प्राकृतिक गैस, आयोग तेल भवन, देहरादून (जिसे इसके बाद आयोग कहा जायेगा) को बम्बई के अपतटीय क्षेत्र में 303.6894 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये पेट्रोलियम अन्वेषण के लिये मई, 1976 के 20वें दिन (20-5-76) से 20 वर्षों के लिये खनन पट्टे की स्वीकृति देती है जिसके विवरण विशेष रूप से इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची (क) में दिये गये हैं।

2. खनन पट्टे की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है:—

(1) खनन पट्टा केवल पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(2) यदि अन्वेषण के दौरान पेट्रोलियम के अतिरिक्त कोई अन्य खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग संपूर्ण ब्यौरों सहित उसे केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लायेगा।

(3) (i) समस्त अप्रशोधित तेल तथा कंडेंसिंग हैड कन्डेंसेट पर 192 रुपये प्रति टन या ऐसी दर से जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी, आयोग रायल्टी का भुगतान करेगा।

(ii) प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में रायल्टी की दरें वे ही होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेंगी।

(iii) रायल्टी की अदायगी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जायेगी।

(4) आयोग पट्टे के अनुमरण में प्रत्येक माह के प्रथम 7 दिनों के अन्दर पिछले माह में प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, कन्डेसेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण और उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(5) आयोग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 13 की अपेक्षाओं के अनुसार 20,000 रुपये की धन राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(6) आयोग केन्द्रीय सरकार के पास (i) 2000/ रुपये तक की राशि प्रारम्भिक खर्चों को पूरा करने और (ii) 5000 /-- रुपये तक की राशि पट्टे की स्वीकृति देने से पूर्व खनन पट्टों की फीस के रूप में जमा करेगा।

(7) आयोग केन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष निम्नलिखित दरों पर निर्धारित वार्षिक डीड किराया अदा करेगा :—

इससे संबंधित एक भाग के लिये पहले 100 वर्ग किलो मीटर के लिये प्रति हैक्टर अथवा इसके किसी अंश के लिये 12.50 रुपये और प्रथम 100 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र से अधिक के प्रति हैक्टर अथवा उसके किसी अंश के लिये 25 रुपये बशर्ते कि पट्टेधारी केवल डीड किराया अथवा रायल्टी दोनों में जो राशि में अधिक हो, परन्तु दोनों नहीं, अदा करे।

(8) आयोग केन्द्रीय सरकार को इस पट्टे के अधीन आयोजित परिचालनों के प्रयोजन के लिये वास्तविक रूप से भूमि के सतही क्षेत्र का उपयोग करने के लिए, ऐसी दरों पर सतही किराया अदा करेगा जो भूमि राजस्व और भूमि पर मूल्यांकन योग्य और मूल्यांकित उपकरों से अधिक नहीं हो जैसा कि समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(9) आयोग केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई, और 1 जनवरी, को अर्ध वार्षिक आधार पर रायल्टी की अदायगी करेगा।

(10) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर तत्काल तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के दौरान पाये गये सभी खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूरी रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में केन्द्रीय सरकार को सभी परिचालनों, वेधन और उत्पादन के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचना देगा।

(11) आयोग समुद्र की तलहटी और अथवा उसके धरातल पर आग लगने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने के लिये हर समय के लिये ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और अथवा सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई, हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(12) इस खनन पट्टे पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और प्राकृतिक पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(13) आयोग पैट्रोलियम खनन पट्टे की डीड को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत फार्म के रूप में कार्यान्वित करेगा।

(14) इस पट्टे के अधीन सरकार को देय किराया रायल्टी कर, फीस और अन्य धनराशि किराया भूमि राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी।

अनुसूची "क"

बम्बई अपतट क्षेत्र 303.6894 वर्ग कि० मी० क्षेत्र के लिए खनन पट्टा

पाइंट	रेखांश	अक्षांश
आर	71°20′ 36.6″	19°40′ 52.2″
क्यू	71°15′ 4.26″	19°32′ 49.2′
पी	71°16′ 21″	19°28′ 45.6″
टी	71°25′ 51.6″	19°27′ 12″
एस	71°24′ 39″	19°36′ 31.8″

अनुसूची—ख

अशोधित तेल, कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटा- कर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख.— केसिंग हैड कन्डेन्सेट

किये गये कुल मी० की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं श्री ..... सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर .....

आदेश

सं० 0-12012/50/87 ओ० एन० जी० डी० IV:- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उप नियम (1) के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (जिसे इसके बाद आयोग कहा जायेगा) को बम्बई के अपतटीय क्षेत्रों में 1445.15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये पेट्रोलियम अन्वेषण के लिये अक्तूबर, 1980 के 14 वें दिन (14-10-88) से 20 वर्षों के लिये खनन पट्टे की स्वीकृति देती है जिसके विवरण विशेष रूप से इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची (क) में दिये गये हैं।

2 खनन पट्टे की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है:--

(1) खनन पट्टा केवल पेट्रोलियम के सम्बन्ध में होगा।

(2) यदि अन्वेषण के दौरान पेट्रोलियम के अतिरिक्त कोई अन्य खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग संपूर्ण ब्यौरों सहित उसे केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लायेगा।

(3)(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कन्डेसेट पर 192 /-- रुपये प्रति टन या ऐसी दर से जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी, आयोग रायल्टी का भुगतान करेगा।

(ii) प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में रायल्टी की दरें वे ही होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी।

(iii) रायल्टी की अदायगी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जायेगी)।

(4) आयोग पट्टे के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 7 दिनों के अन्दर पिछले माह में प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, कंडेंसेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका उचित मूल्य दर्शाते वाला एक पूर्ण और उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(5) आयोग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 13 की अपेक्षाओं के अनुसार 20,000 रुपये की धन राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(6) आयोग केन्द्रीय सरकार के पास (1) 2000/-- रुपये तक की राशि प्रारम्भिक खर्चों को पूरा करने और (2) 5000/- रुपये तक की राशि पट्टे की स्वीकृति देने से पूर्व खनन पट्टों की फीस के रूप में जमा करेगा।

(7) आयोग केन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष निम्नलिखित दरों पर निर्धारित वार्षिक डीड किराया अदा करेगा:—

इससे संबंधित एक भाग के लिये पहले 100 वर्ग किलो मीटर के प्रति हैक्टर अथवा इसके किसी अंश के लिए 12.50 रुपये और प्रथम 100 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र से अधिक के लिये प्रति हैक्टर अथवा उसके किसी अंश के लिये 25/-- रुपये बशर्ते कि पट्टेधारी केवल डीड किराया अथवा रायल्टी दोनों में जो राशि में अधिक हो, परन्तु दोनों नहीं, अदा करे।

(8) आयोग केन्द्रीय सरकार को इस पट्टे के अधीन आयोजित परिचालनों के प्रयोजन के लिये वास्तविक रूप से भूमि के सतही क्षेत्र का उपयोग करने के लिये, ऐसी दरों पर सतही किराया अदा करेगा जो भूमि राजस्व और भूमि पर मूल्यांकन योग्य और मूल्यांकित उपकरों से अधिक नहीं हो जैसा कि समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा

(9) आयोग केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई, और 1 जनवरी को अर्ध वार्षिक आधार पर रायल्टी की अदायगी करेगा।

(10) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर तत्काल तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के दौरान पाये गये सभी खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में केन्द्रीय सरकार को सभी परिचालनों, वेधन और उत्पादन के सम्बन्ध में निश्चित रूप से सूचना देगा।

(11) आयोग समुद्र की तलहटी और अथवा उसके धरातल पर आग लगने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने के लिये हर समय के लिये ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/अथवा सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई, हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(12) इस खनन पट्टे पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(13) आयोग पेट्रोलियम खनन पट्टे की डीड को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति फार्म के रूप में कार्यान्वित करेगा।

(14) इस पट्टे के अधीन सरकार को देय किराया रायल्टी कर, फीस और अन्य धनराशि बकाया भूमि राजस्व के रूप में वसूल की जायेगी।

गुरदयाल सिंह, सक्षम अधिकारी

"अनुसूची क"

बम्बई अपतट के 1445.15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के खनन पठठे का विवरण

1445.15 वर्ग कि०मी० क्षेत्र–I घटा क्षेत्र–II

भौगोलिक निर्देशांक :

पाइन्ट्स	रेखांश			अक्षांश		
के	71°	22′	21″	19°	10′	24″
एल	71°	13′	03″	19°	20′	34″
एम	71°	13′	03″	19°	42′	48″
एन	71°	25′	11″	19°	42′	48″
ओ	71°	36′	47″	19°	10′	24″
क्षेत्र–II						
आर	71°	20′	36.6″	19°	40′	52.2″
क्यू	71°	15′	04.26″	19°	32′	49.2″
पी	71°	16′	21″	19°	28′	45.6″
टी	71°	25′	51.6″	19°	27′	12″
एस	71°	24′	39″	19°	36′	31.8″

अनुसूची—ख

अशोधित तेल, कंडेंसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिये पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस।

क्षेत्रफल :

माह तथा वर्ष

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की सं०	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) कंडेंसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटा कर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग. प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटा कर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं श्री.....सत्य निष्ठा पूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।.

उद्योग मंत्रालय

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 1989

संकल्प

सं० ए० 43011(37)/89 एम० एस०—भारत सरकार ने इस संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए आयात प्रतिस्थापन तथा तकनीकी विकास के लिये बोर्ड आफ अनार्डस का निम्न प्रकार से पुनर्गठन करने का निर्णय किया है:

1 सचिव, (त० वि० एवं महानिदेशक (त० वि०) अध्यक्ष

2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रतिनिधि टेक्नालाजी भवन, स्य महरौली रोड, नई दिल्ली। सदस्य

3. मुख्य नियंत्रक, सदस्य
रक्षा अनुसन्धान और विकास संगठन
सेना भवन, नई दिल्ली (अथवा उनका मनोनीत)

4 विकास आयुक्त, सदस्य
लघु उद्योग, निर्माण भवन,
नई दिल्ली (अथवा उनका मनोनीत)

5. अध्यक्ष एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, सदस्य
हिन्दुस्तान आरगनिक कैमिकल्स लिमिटेड
ई 11/6, वसन्त विहार,
नई दिल्ली।

6. अध्यक्ष एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, सदस्य
इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड,
पो० आ० पेट्रो कैमिकल्स, बड़ोदरा

7. मैनेजिंग डायरेक्टर, सदस्य
नेशनल रिसर्च डवलपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया
22, डी० डी० ए० शापिंग कम्पलैक्स,
जमरूदपुर, ईस्ट आफ कैलाश,
नई दिल्ली।

8. अध्यक्ष सदस्य
हिन्दुस्तान स्टीयर लिमिटेड,
एच० एल० हाउस, 165/166 बैकबे, रिक्लेमेशन,
बम्बई 40020 (अथवा उनका मनोनीत)

9 सचिव, सदस्य
इलैक्ट्रानिक्स विभाग
लोकनायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली (अथवा उनका मनोनीत)

10. डा० पी० प्राणजपे सदस्य
निदेशक,
आटोमोटिव रिसर्च एसोसियेशन आफ इण्डिया
पुणे।

11. निदेशक, सदस्य
सैन्ट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्स्टीच्यूट
दुर्गापुर।

12. निदेशक, सदस्य
नेशनल कैमिकल लबोरेटरी
पुणे

13. मुख्य अनुसन्धान और विकास सदस्य
भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
हैदराबाद 32

14 मुख्य, अनुसन्धान और विकास सदस्य
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड
36 कनिंगम रोड,
बंगलौर

15. डा० एच० सी० विश्वेश्वरैया सदस्य
अध्यक्ष एवं महानिदेशक,
नेशनल काउंसिल फार सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटरियल्स,
एम 10, साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2,
नई दिल्ली।

16. औद्योगिक सलाहकार अपर औद्योगिक सलाहकार सदस्य सचिव
(प्रभारी)
प्रौद्योगिकी विकास मण्डल,
त० वि० महा०, नई दिल्ली

पुनर्गठित बोर्ड केवल नये आवेदनों पर विचार करेगा।

बोर्ड के सदस्यों का शर्तें निम्न प्रकार होंगी

(क) आयात प्रतिस्थापन का अर्थ आयातित उत्पाद के पूरे अथवा उसके भाग को देशी निर्मित उत्पाद से बदलना है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा बचेगी। प्रौद्योगिकी की उन्नति में प्रौद्योगिकी विकास गुणवत्ता में सुधार, ऊर्जा बचत की लागत में कमी शामिल हैं।

(ख) सभी उद्यम, बिना किसी प्रतिबन्ध के, अवार्ड के पात्र होंगे बशर्ते कि वे उपयुक्त आयात प्रतिस्थापन और प्रौद्योगिकी की उन्नति की शर्तें पूरी करते हों।

(ग) आयात प्रतिस्थापन और प्रौद्योगिकी की उन्नति के प्रयास जिन पर इस योजना के अन्तर्गत विचार किया जा सकेगा, इस प्रकार हैं:

(घ) प्रयासों को देश की राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का समर्थन करना चाहिये।

(2) अवार्ड के लिए पात्र होने से पहले उत्पादन का व्यावसायिक विक्रय आवेदन के वित्तीय वर्ष से कम से कम एक वर्ष का होना चाहिये।

(3) संगठित उपक्रम के मामले में आवर्ती विदेशी विनिमय बचत प्रतिवर्ष भाड़े सहित लागत 15 लाख रु० की कीमत से कम नहीं होनी चाहिये, लघु उद्योग उपक्रम के मामले में प्रतिवर्ष 4 लाख रुपये के बराबर की कीमत से कम नहीं होना चाहिये।

(4) अवार्ड उन एककों के लिए भी लागू होगा जिन्होंने निर्धारित समय के कार्यक्रम के अनुसार आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाने समावेशन में निष्पादन का प्रशंसनीय स्तर प्राप्त किया है या स्वयं ही प्रौद्योगिकी की उन्नति में सफलता पाई है।

आदेश

आदेश दिये जाते हैं कि संकल्प की प्रतिलिपि सभी संबंधितों को संचालित की जाये। यह भी आदेश दिये जाते हैं कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

मदन मोहन,
निदेशक (प्रशासन)

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 1989

संकल्प

सं० 50015/1/86 मा० (नफ० V)—देश में मात्स्यकी क्षेत्र का समुचित और समन्वित विकास पर सलाह देने के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय मात्स्यकी सलाहकार बोर्ड का गठन करने का निर्णय किया है।

2. बोर्ड का गठन निम्न प्रकार होगा:

(1) अध्यक्ष—भारत सरकार द्वारा नामित किया जाना है। (अंशकालिक)।

(2) कृषि मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार (कृषि और सहकारिता विभाग)

(3) राष्ट्रीय मात्स्यकी सलाहकार बोर्ड का सचिव।

(4) कृषि और सहकारिता विभाग से दो प्रतिनिधि अर्थात् संयुक्त सचिव, मात्स्यकी के प्रभारी और मात्स्यकी विकास आयुक्त।

(5) खाद्य परिसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एम० एफ० पी० आई०) के दो प्रतिनिधि, अर्थात् संयुक्त सचिव, मात्स्यकी के प्रभारी और संयुक्त आयुक्त (मात्स्यकी)।

(6) वाणिज्य मंत्रालय से एक प्रतिनिधि जोकि उप सचिव के पद से कम स्तर का न हो।

(7) भूतल परिवहन मंत्रालय से एक प्रतिनिधि जो कि उप सचिव के पद से कम स्तर का न हो।

(8) उद्योग मंत्रालय से एक प्रतिनिधि जोकि उप सचिव के पद से कम स्तर का न हो।

(9) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से एक प्रतिनिधि जोकि निदेशक के पद से कम स्तर का न हो।

(10) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से एक प्रतिनिधि जोकि उप महानिदेशक (मात्स्यकी) के पद से कम स्तर का न हो।

(11) महानिदेशक, भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण।

(12) खाद्य परिसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नामित किए जाने वाले मात्स्यकी उद्योग के दो प्रतिनिधि।

(13) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा नामित किए जाने वाले मछली पालक/मछुआरों के दो प्रतिनिधि।

(14) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा बारी बारी से नामित किए जाने वाले अंतः राज्यों से दो अधिकारी जोकि मात्स्यकी के निदेशक के पद से कम स्तर के न हों।

(15) खाद्य परिसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा बारी बारी से नामित किए जाने वाले समुद्री राज्यों/संघ शासित देशों के दो अधिकारी, जोकि मात्स्यकी के निदेशक के पद से कम स्तर के न हों।

(16) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का एक प्रतिनिधि जोकि महाप्रबन्धक के पद से कम स्तर का न हो।

(17) कृषि और सहकारिता विभाग तथा खाद्य परिसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रत्येक से नामित किए जाने वाले दो प्रबन्ध विशेषज्ञ।

(18) नाबार्ड से एक प्रतिनिधि जोकि महा प्रबन्धक के पद से कम स्तर का न हो।

(19) भारतीय जहाजरानी साख तथा निवेश कम्पनी लि० से एक प्रतिनिधि।

(20) कृषि और सहकारिता विभाग के संयुक्त आयुक्त (मात्स्यकी) बोर्ड के सदस्य सचिव का कार्य करेंगे।

3. भारत सरकार समय समय पर ऐसे अतिरिक्त सदस्यों को नामित कर सकती है जो उन हितों को प्रस्तुत करें जो बोर्ड को इससे पहले प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। नामित सदस्यों की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी सिवाय राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के कार्यकारी सदस्यों के मामले में जिनकी अवधि बारी-बारी से दो वर्ष है।

4. बोर्ड की एक स्थायी समिति होगी, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(1) राष्ट्रीय मात्स्यकी सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष।

(2) राष्ट्रीय मात्स्यकी सलाहकार बोर्ड के सचिव।

(3) खाद्य परिसंस्करण उद्योग मंत्रालय में मात्स्यकी के प्रभारी संयुक्त सचिव।

(4) कृषि और सहकारिता विभाग में मात्स्यकी के प्रभारी संयुक्त सचिव।

(5) वित्तीय सलाहकार, कृषि और सहकारिता विभाग।

(6) (14) और (15) में दिए गए बोर्ड के सदस्यों में से एक व्यक्ति, जिसे बोर्ड द्वारा नामित किया जाएगा।

(7) (12) और (13) में दिए गए बोर्ड के सदस्यों में से एक व्यक्ति, जिसे बोर्ड द्वारा नामित किया जाता है।

4.1 स्थायी समिति समय समय पर बोर्ड के निर्णयों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा करेगी।

5. बोर्ड एक परामर्श निकाय है और उसके निम्न कार्य होंगे :

(1) गहरे समुद्र में मछली पकड़ना, खारे पानी में झींगा और मछली पालन तथा मैरीकल्चर के उन्नति और विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों की सिफारिश करना।

(2) मात्स्यकी क्षेत्र की विभिन्न उपप्रणालियों में उपयुक्त विकास मापदंडों और विशिष्ट केन्द्रों का सुझाव देना।

(3) मछुआरों की आर्थिक सामाजिक आवश्यकताओं की पहचान करना तथा उनके कल्याण के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों की सिफारिश।

(4) प्रबंध कौशल के अतिरिक्त नयी और उपयुक्त तकनीक के प्रवेश के माध्यम से उपाय सुझाना।

(5) अनुसंधान, समन्वेषी सर्वेक्षण, प्रयोगात्मक मछली पकड़ना, उपाय और विपणन विकास, जिसमें पैदावार के बाद की तकनीक शामिल है, के बीच बेहतर समन्वय करने के लिए उपाय को सुझाना, ताकि एकमात्र आर्थिक क्षेत्र (ई० ई० जेड०) में वाणिज्यिक मछली पकड़ने में अधिक से अधिक आमदनी हो सके।

(6) मछली पकड़ने वाले बन्दरगाहों जिसमें बन्दरगाह टर्मिनल भी शामिल है के प्रबन्ध और परिचालन को सुधारने के लिए साधनोपाय सुझाना।

(7) विभिन्न क्षेत्रों तथा मात्स्यकी संसाधनों के प्रबंध के बीच विरोधों को रोकने तथा नियंत्रण करने के लिए एकमात्र आर्थिक क्षेत्र की निगरानी संबंधी अपेक्षित उपायों पर सलाह देना।

(8) अवस्थापनात्मक सुविधाओं जैसे मछली पकड़ने के बन्दरगाह, मत्स्य औद्योगिक एस्टेट और मछली पकड़ने वाले जहाज की मरम्मत सुविधाओं के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना के प्रतिपादन पर सुझाव देना।

(9) खारे और स्वच्छ पानी में जलकृषि और मैरीकल्चर के विकास के लिए निवेश उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सेवा संगठनों पर सुझाव देना।

(10) जलाशय मात्स्यकी संसाधन के विकास और प्रबंध की रचना पर सुझाव देना।

(11) घरेलू विपणन और निर्यात दोनों के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों का विपणन तथा कम कीमत की समुद्री मछली का उपयोग तथा उत्पादन पर सुझाव देना।

(12) समुद्री उत्पाद निर्यात जिसमें झींगा मूल्य उपलब्धि सम्मिलित है के मूल्य और मात्रा बढ़ाने के साधनोपाय पर सुझाव देना।

(13) मात्स्यकी विकास निगम/मछुआरों की सहकारिताएं/मछली बीज विकास निगम के कार्य और अनुपालन को सरल और कारगर बनाने के लिए प्रबंधकीय और अन्य आवश्यकताओं पर सुझाव देना।

(14) कृत्रिम गहरे समुद्र और विशिष्ट साधन जलयानों को मानवीकृत करने के लिए सक्षम मत्स्य कर्मियों का केडर बनाने हेतु उठाए गए कदमों को स्वीकार करना।

(15) मत्स्यन उद्योग के लिए अपेक्षित तकनीकी/प्रबंधकीय परिचालन कार्मिकों को बढ़ाने के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा मात्स्यकी में चलाए जा रहे प्रशिक्षण और शैक्षणिक कार्यक्रमों के मध्य अच्छे समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देना।

(16) उत्पादन, परिसंस्करण और विपणन में नियोजन और नियंत्रण के लिए ठोस जानकारी और आवश्यक डाटा बेस की स्थापना पर सुझाव देना।

(17) अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों में मात्स्यकी और मछली पकड़ने के उद्योग की उन्नति और विकास के लिए सुझाये गए उपाय।

(18) केन्द्रीय मात्स्यकी बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सुझाव देना।

(19) समय-समय पर बोर्ड को निर्दिष्ट की गयी कोई अन्य मद।

6. बोर्ड आवश्यकता पड़ने पर कम से कम छः महीने में एक बार बैठक करेगा।

7. एन० एफ० ए० बी० के गतिविधियों की रिपोर्ट उसके द्वारा केन्द्रीय मात्स्यकी बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी। प्रत्येक वर्ष के 30 सितम्बर तक एन० एफ० ए० बी० द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट कृषि और सहकारिता विभाग तथा खाद्य परिसंस्करण उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन तथा भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

प्रेमानन्द त्रिपाठी, अपर सचिव

PLANNING COMMISSION

New Delhi-110 001, the 8th February 1989

RESOLUTION

No. M-13043/12/87-Agri. (ix).—In partial modification of the Planning Commission's Resolution of even No. dated 3rd June, 1988 regarding constitution of Zonal Planning Team for the Western Plateau & Hills Region, the following changes are made in the composition of the Team :

(1) At Sr. No. 1, in place of Dr. K. R. Pawar, the name of Dr. P. V. Salvi shall be substituted;

(2) At Sr. No. 15, name of Dr. K. R. Pawar, Director of Research Marathwada Agriculture University Parbhani-431402 shall be substituted in place of Dr. V. S. Chitra, Director, Agri-Economic Research Centre, Gokhale Institute of Politics & Economics, Pune; and

(3) the name of Dr. R. S. Deshpande, Reader, AER Centre, Gokhale Institute of Politics & Economics, Pune as a Member and Joint Secretary of the Planning Team shall be added at Sr. No. 16.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the Planning Team, all concerned Ministries and Departments of State Governments and Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

J. C. DANGWAL, Director (Admn.)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 22nd February 1989

RESOLUTION

No. E. 11017/16/87-O.L.—At the meeting of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Finance, held on 30th January, 1981, under the Chairmanship of the Minister of State (Revenue & Expenditure), it was decided that a scheme for granting awards for writing original books on financial subjects in Hindi should be prepared and the scheme should be called Financial Literature Awards Scheme/Vittiya Sahitya Puraskar Yojana. The scheme thus prepared was circulated *vide* this Department's Resolution No. E-11017/45/79-O.L., dt. 27-9-1983. The said scheme has now been reviewed and certain amendments have been effected therein. The revised scheme is now as under :—

2. *Object of the Scheme*

The object of the scheme is to encourage preparation and writing of standard original Hindi Books on financial subjects.

3. *Eligibility*

The awards (Puraskars) will be given to Indian citizens only. Public servants, including Govt. employees, working in or under the Ministry of Finance and the organisations under its control land also the employees of the Indian Audit Department will be eligible to compete for the above awards.

4. *Subjects*

Every year awards will be given for writing original Books in Hindi on the following subjects :—

(a) Direct Taxes
(b) Indirect Taxes
(c) Banking
(d) Life Insurance
(e) General Insurance
(f) Currency & Coinage
(g) Public Finance
(h) Exchange Control
(i) Sales Tax
(j) Narcotics
(k) Gold Control
(l) Foreign Aid
(m) Financial Management
(n) Financial organisation
(o) Comparative study of Financial systems
(p) Development Financing
(q) Budgeting Systems
(r) National Income accounting Procedure
(s) Deficit Financing etc.

Note :—Books on Financial Matters other than specifically mentioned above will also be considered.

5. *Awards (Puraskars)*

The awards to be given under the Scheme are as follows :—

Pratham Puraskar Rs. 7500/- (Rs. Seven thousand Five hundred only).

Dvitiya Puraskar Rs. 5000/- (Rs. Five thousand only).

Tritiya Puraskar Rs. 3000/- (Rs. Three thousand only).

6. *Award year*

(i) A financial year will be treated as the year of award, this period could be extended in case sufficient entries are not received.

(ii) The books submitted for consideration for grant of an award in a particular year of the award should have been written/published in the previous financial year. ....

(iii) Under this scheme, books will be accepted upto 30th June following the year of the award.

(iv) only published/printed books will be accepted. Typed & hand written entries will not be accepted.

7. *Donor of the Puraskars*

These puraskars will be given on behalf of the Ministry of Finance, Government of India.

8. *Evaluation of Books*

(i) The books received for consideration for the awards under the scheme will be first sent to Evaluation Committee of exports for evaluation, constituted every year by the Ministry of Finance. The names of the Members of the Committee and the proceedings of the Evaluation Committee will be kept secret.

(ii) The Evaluation Committee will assess the books received on the basis of their merit and recommend in that order the names of the authors and their books to the Secretary of the Awards Committee, by specified date, and also return to him all the copies of books/manuscripts which were sent to them.

(iii) The report submitted by the Evaluation Committee will be placed before the Awards Committee comprising the following :—

Chairman

1. Minister of State/Dy. Minister in the Ministry of Finance.

Members

2. Additional Secretary (Administration) Department of Revenue.
3. Joint Secretary (OD-I), Department of Economic Affairs.
4. Joint Secretary (OL-I), Department of Expenditure.
5. Joint Secretary, Department of Official Language.

Secretary

(iv) Director (Official Language), Department of Revenue will be the Secretary of the Awards Committee.

(v) The Award Committee will consider the suitability of the books for the purpose of granting the awards on the basis of the reports submitted by the Evaluation Committee.

9. *Definition of Originality for the purpose of the Scheme* : An original book in Hindi means, a book,

(a) which has been written by a competitor/author himself originally in Hindi;

(b) which is not a book or an article written by some author in some other language and translated by the competitor.

(c) which is not a work written originally in some other language by the competitor himself and has been translated into Hindi by him or by a professional Translator;

(d) which is not written originally in Hindi or in some other language by the competitor in his official capacity and as part of his official work;

(e) which is not a Hindi translation rendered by the competitor himself or a professional translator of a book or an article which was written by the competitor in English or some other language in the official capacity and as part of his official work;

(f) which is not a detailed or abridged or summarised Hindi version prepared by the competitor himself or someone else of books or article already written and/or published by the competitor in English or some other language in his capacity and as a part of his official work; and

(g) which is not a book written under some Government contract or according to some Government Scheme.

(h) In view of reading material, the books should be of Degree level containing 100 or more of printed page size of $\frac{20'' \times 30''}{16}$ or 23" × 36" Purly literary works like stories, songs, poems or Dramas etc. are not acceptable.

10. *Entries*

(i) Published books or typed copies both will be accepted for consideration for the award. Competitor-writers will have to declare in the prescribed proforma that the book sent under the scheme is an oiginal work as per definitions above.

(ii) If copy-right is involved, the author shall have to submit in original the permission of the copy-right-holder alongwith one attested true copy. The original will be returned to the author after verification while the copy retained by the Department for record.

The author/publisher will be responsible for any violation of copyright in the entry sent for the competition and the author/publisher will have to give a certificate to this effect that no violation of copyright has been done. If permission regarding copyright from the author/publisher of any book has been obtained, the same has to be sent alongwith the entry. Detection of violation coypwrite will render the entry ineligible for the competition and the reward, if any, will be withdrawn.

(iii) Competitors will be required to send six printed or typed copies of the books alongwith an application in the prescribed form. The entries and the application form duly filled up will be sent to the Deputy Secretary/Director (Administration) acting as Secretary, Financial Literature Awards Committee, Ministry of Finance, Department of Revenue, North Block, New Delhi.

(iv) The competitors will also be required to submit six copies of the summary of the subject of the each entry.

(v) The books submitted after the prescribed date will not be accepted for award during that year.

(vi) Books once considered for the purpose of award will not be considered again for the grant of award again.

(vii) If the Evaluation Committee does not find any book worth granting award during the year no award will be given during that year.

(viii) No competitor under the scheme will be eligible to be a Member of the Evaluation Committee for the year for which he submits his book(s) for grant of an award.

(ix) The decision of the Awards Committee will be final.

(x) If any book has already been awarded elsewhere the same will not be eligible for an award under this scheme. The Authors will have to furnish a certificate in this regard to the Department of Revenue while submitting the entries.

(xi) Books received for competition will not be returned.

11. *Announcement of Grant of the Awards*

(i) The names of the writers winning the awards will be announced through leading newspapers and magazines.

(ii) All individuals competing for awards will be intimated separately about the results.

(iii) If the book winning the award is written by more than one writer, the amount of the award will be shared equally by all of them.

12. *Management of the Scheme*

(i) Arrangements for running the Scheme will be made by the Department of Revenue of the Ministry of Finance.

(ii) All correspondence about the scheme and the awards will be handled by the Dy. Secretary/Director (Administrative) Department of Revenue acting as the Secratery, Financial Literature awards Scheme, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

13. *Honourarium for Evaluators and the Officials Running the Scheme*

(i) Each Evaluator will be granted an honorarium of Rs. 200/- per book, subject to a maximum of Rupees one thousand only.

(ii) The officials of the Department looking after the work of the Scheme will also be granted suitable honorarium which will be decided by the Government.

(iii) If the Members of the Evaluation Committee are invited from outside Delhi for evaluation the entries received for awards, they will be granted TA/DA for the duration of the meeting as per government rules.

14. *Funds for the Scheme*

The expenditure incurred on the Scheme, as enumerated above, will be met out of the budget grant of the Department of Revenue.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Union Territories, Prime Minister Secretariat, Cabinet Secrateriat Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all the Ministries & Departments of Government of India.

ORDERED further that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. S. PANDEY, Member
Central Board of Direct Taxes

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 15th March 1989

RESOLUTION

No. F. 5 (2)-PD/89.—It is announced for general information that during the year 1989-90 accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall continue to carry interest at the rate of 12% (Twelve per cent) per annum. This rate will be in force during the financial year beginning 1-4-1989. The funds concerned are :—

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund.
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
9. The Defence Services Officers Provident Fund).
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.

ORDER

2. ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

V. BALASUBRAMANIAN, Officer on Special Duty

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 15th March 1989

ORDER

No. O-12012/35/87-ONGD-IV.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhawan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Mining Lease to mine Petroleum for 20 years with effect from the 20th day of May, 1976 (20-5-1976) in Bombay off-shore area measuring 303.6894 sq. kms more particularly described in Schedule 'A' attached to this order.

2. The grant of this Mining Lease is subject to the following terms and conditions :

(1) The Mining Lease would be only in respect of Petroleum.

(2) If any minerals other than petroleum are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(3) (i) Royalty at the rate of Rs. 192/- per metric tonne or such other rate as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate shall be paid by the Commission.

(ii) In the case of natural gas, the rates of royalty shall be as fixed by Central Government from time to time.

(iii) The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas New Delhi.

(4) The Commission shall, within the first seven days of every month, furnish to the Central Government a full and proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the lease in the Form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(5) The Commission shall deposit a sum of Rs. 20,000/- as security as required by rule 13 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(6) The Commission shall also deposit with the Central Government (i) for meeting the preliminary expenses such sum, not exceeding Rs. 2000/- and (ii) Rs. 5000/- as Mining Lease fee prior to the grant of lease.

(7) The Commission shall pay to the Central Government for every year a fixed yearly dead rent at the following rates :

Rs. 12.50 per hectare or part thereof for the first 100 square kilometres and Rs. 25/- per hectare or part thereof for area exceeding the first 100 square kilometres provided that the lessee shall be liable to pay only the dead rent or the royalty, whichever is higher in amount but not both.

(8) The Commission shall pay to the Central Government for the surface area of the land actually used by it for the purpose of the operations conducted under this lease, surface rent at such rate, not exceeding the land revenue and cesses assessed or assessable on and, as may be specified by the Central Government from time to time.

(9) The Commission shall pay to the Central Government royalty, half-yearly as on 1st July and 1st January each year.

(10) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government, a full confidential report of the geological data of all the minerals found during the exploration/production of oil and natural gas and shall submit, every six months, the results of all operations, boring and production without fail.

(11) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under water and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies, and means ready at all time, to extinguish the fire and shall pay such compensation to the third party and/or Government as may be determined in case of damages due to fire.

(12) This Mining lease shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(13) The Commission shall execute a Deed of the Petroleum Mining Lease in the form approved by the Central Government.

(14) And rent, royalty, tax, fee or other sum to the Government under this Lease shall be recoverable from the Commission as arrears of land revenue.

Schedule 'A'

Geographical Coordinates of Mining Lease for Bombay Offshare area measuring 303.6894 Sq. Kms.

Point	Longitude			Latitude		
R	71°	20′	36·6″	19°	40′	52·2″
Q	71°	15′	4·26″	19°	32′	49·2″
P	71°	16′	21″	19°	28′	45·6″
T	71°	25′	51·6″	19°	27′	12″
S	71°	24′	39″	19°	36′	31·8″

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value there of Petroleum Exploration Licence for

Area :

Month and Year :

A. Crude Oil .

'otal No. of Metric 'onnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric tonnes obtained (less columns 2 and 3)	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing-head condensate

'otal Number of Metric onnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleums exploration approved by Central Govt.	No. of Metric Tonnes obtained (less columns 2 and 3)	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total Number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Govt.	Number of cubic metres obtained (less columns 2 and 3)	Remarks
1	2	3	4	5

I, do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the nformation in this return is true aned.correct in every particular and makethis solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

ORDER

No. O-12012/50/87-ONGD-IV.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rules 5 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Mining Lease to mine Petroleum for 20 years with effect from the 14th day of October, 1980 (14-10-80) in Bombay Offshore area measuring 1445.15 sq. kms more particularly described in Schedule 'A' attached to this order.

2. The grant of this Mining Lease is subject to the following terms and conditions :—

(1) The Mining Lease would be only in respect of Petroleum;

(2) If any minerals other than petroleum are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(3) (i) Royalty at the rate of Rs. 192/- per metric tonne or such other rate as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate shall be paid by the Commission.

(ii) In the case of natural gas, the rates of royalty shall be as fixed by Central Government from time to time.

(iii) The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

(4) The Commission shall, within the first seven days of every month, furnish to the Central Government a full and proper return showing the quantity and gross value of all crude oil casing head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the lease, in the Form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(5) The Commission shall deposit a sum of Rs. 20,000/- as security as required by rule 13 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(6) The Commission shall also deposit with the Central Government (i) for meeting the preliminary expenses such sum, not exceeding Rs. 2000/- and (ii) Rs. 5000/- as Mining lease fee prior to the grant of lease.

(7) The Commission shall pay to the Central Government for every year a fixed yearly dead rent at the following rates :—

Rs. 12.50 per hectare or part thereof for the first 100 square kilometres and Rs. 25/- per hectare or part thereof for area exceeding the first 100 square kilometres provided that the lessee shall be liable to pay only the dead rent or the royalty, whichever is higher in amount but not both.

(8) The Commission shall pay to the Central Government for the surface area of the land actually used by it for the purpose of the operations conducted under this lease, surface rent at such rate not exceeding the land revenue and cesses assessed or assessable on and, as may be specified by the Central Government from time to time.

(9) The Commission shall pay to the Central Government royalty, half yearly as on 1st July and January each year.

(10) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government, a full confidential report of the geological data of all the mineral found during the exploration/production of oil and natural gas and shall submit, every six months, the results of all operations, boring and production without fail.

(11) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under water and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means ready at all time, to extinguish the fire and shall pay such compensation to the third party and/or Government as may be determined in case of demages due to fire.

(12) This Mining lease shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(13) The Commissilon shall execute a Deed of the Petroleum Mining Lease in the form approved by the Central Government.

(14) A rent, royalty, tax, fee or other sum due to the Government under this Lease shall be recoverable from the Commission as arrears of land revenue.

GURDIAL SING
Desk Offic

Schedule '

Particulars of Mining Lease for Bombay Offshore area measuring 1445.15 Sq. Kms.

1445.1' Sq. Kms. = Area I minus Area-II

Geographical Coordinates :

AREA-I

Points	Longitude			Latitude		
K	71°	22′	21″	19°	10′	24″
L	71°	13′	03″	19°	20′	34″
M	71°	13′	03″	19°	42′	48″
N	71°	25′	11″	19°	42′	48″
O	71°	36′	47″	19°	10′	24″
AREA-II						
R	71°	20′	36·6″	19°	40′	52·2″
Q	71°	15′	04.26″	19°	32′	49·2″
P	71°	16′	21″	19°	28′	45·6″
T	71°	25′	51·6″	19°	27′	12″
S	71°	24′	39″	19°	36′	31.8″

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof Petroleum Exploration Licence for

Area :

Month and Year :

A—Crude Oil

Total No. of metric tonnes obtained	No. of metric tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of metric tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B—Casing-head Condensate

Total No. of metric tonnes obtained	No. of metric tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of metric tonnes used for purpose of petroleum exploration approved by Central Govt.	No. of metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total No. of cubic metres obtained	No. of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Govt.	No. of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri.....do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

MINISTRY OF INDUSTRY

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 15th March 1989

RESOLUTION

No. A-34011(37)/89-MS.—Government of India have decided to reconstitute the Board of Awards for Import Substitution and Technology Development with the following composition for a period of two years from the date of issue of this Resolution.

Chairman

1. Secretary (TD) & DG (TD).

Members

2. Representative of Ministry of Science & Technology, Technology Bhavan, New Mehrauli Road, New Delhi.
3. Chief Controller, Defence, Research & Development Organisation, Sena Bhavan, New Delhi (or his nominee).
4. Development Commissioner, Small Scale Industries, Nirman Bhavan, New Delhi (or his nominee).
5. Chairman & Managing Director, Hindustan Organic Chemicals Ltd E-11/6, Vasant Vihar, New Delhi.
6. Chairman & Managing Director, Indian Petro Chemicals Ltd., P.O. Petrochemicals, Vadodara.
7. Managing Director, National Research Development, Corporation of India, 22, DDA Shopping Complex, Zamrudpur, East of Kailash, New Delhi
8. Chairman, Hindustan Lever Ltd., HL House, 165/166, Backbay Reclamation, Bombay-400 020. (or his nominee).
9. Secretary, Department, of Electronics, Lok Navak Bhavan, Khan Market, New Delhi. (or his nominee).
10. Dr. P. Pranjape, Director, Automotive Research Association of India, Pune.
11. Director, Central Mechanical Engineering Institute, Durgapur.
12. Director, National Chemical Laboratory, Pune.
13. Chief of Research & Development, BHEL, Hyderabad-32.
14. Chief of Research & Development, Hindustan Machine Tools Ltd, 36, Cunningham Road Bangalore.
15. Dr. H. C. Visvesvaraya, Chairman & DG, National Council for Cement & Building Materials, M-10, South Extension Part II, New Delhi.

Member Secretary

16. Industrial Adviser/Additional Industrial Adviser (in-charge), Technology Development Divn., D.G.T.D., New Delhi.

The re-constituted Board shall consider only fresh applications.

The terms of reference of the Board will be as follows :-

(A) Import substitution means substitution by total or partial replacement of an imported product, by an indigenously manufactured product, resulting in material saving in foreign exchange. The technology upgradation would cover development of proven technologies leading to significant improvement in quality, cost reduction energy saving.

(B) All enterprises, without any restriction, will be eligible for awards, provided they meet the above import substitution and technology upgradation criteria.

(C) Import substitution and technology upgradation effort which could be considered under the scheme are :—

(i) The effort should subscribe to the National economy of the country.

(ii) Production resulting in commercial sales should have been for at least one year of the applicants financial year before qualifying for Award.

(iii) Whereas recurring foreign exchange saving in the case of an organised sector should not be less than a value equivalent to Rs. 15.00 lakh cif per annum., that in the case of small scale sector should not be less than a value equivalent to Rs. 5.00 lakhs per annum.

(iv) The Award may also be applicable to units who have achieved commendable level of performance in absorption/adaptation of imported technology within a time bound programme or have obtained success in technology upgradation on their own.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADAN MOHAN, Director (Admn

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 10th January 1989

RESOLUTION

No. 50015/1/86-Fy(T-V).—In order to advise on an integrated and coordinated development of the Fisheries Sector in the country, the Government of India have decided to constitute a National Fisheries Advisory Board (NFAB).

2. The composition of the Board will be as under :

(i) Chairman—to be nominated by the Government of India, (Part time).

(ii) Financial Adviser of Department of Agriculture & Cooperation (DAC).

(iii) Secretary of the NFAB.

(iv) Two representatives from DAC, namely, Joint Secretary, in charge of fisheries and Fisheries Development Commissioner.

(v) Two representatives from the Ministry of Food Processing Industries (MFPI), namely, Joint Secretary, in charge of fisheries and Joint Commissioner (Fisheries).

(vi) One representative not below the rank of Deputy Secretary from the Ministry of Commerce.

(vii) One representative not below the rank of Deputy Secretary from the Ministry of Surface Transport.

(viii) One representative not below the rank of Deputy Secretary from the Ministry of Industry.

(ix) One representative not below the rank of Director from Marine Products Export Development Authority.

(x) One representative from Indian Council of Agriculture Research not below the rank of DDG (Fisheries).

(xi) Director General of Fishery Survey of India.

(xii) Two representatives of fishing industry to be nominated by MFPI.

(xiii) Two representatives of fish farmers/fishermen to be nominated by DAC.

(xiv) Two officials not below the rank of Director of Fisheries from Inland States to be nominated by the DAC by rotation

(xv) Two officials not below the rank of Director of Fisheries from Maritime States/UTs to be nominated by the MFPI by rotation.

2(xvi) A representative from National Cooperative Development Corporation not below the rank of General Manager.

(xvii) Two Management Experts to be nominated one each by the DAC and the MFPI.

(xviii) A representative from NABARD not below the rank of General Manager.

(xix) A representative from Shipping Credit and Investment Company of India Ltd.

(xx) Joint Commissioner (Fisheries) in the Department of Agriculture & Cooperation (DAC) shall function as the Member Secretary of the Board.

3. The Government of India may nominate from time to time additional members to represent interests not already represented on the Board. The term of the nominated members shall not exceed 3 years except in the case of official members of the State Governments/UTs whose term shall be two years in rotation.

4. There shall be a Standing Committee of the Board with the following members :

(i) Chairman of NFAB

(ii) Secretary NFAB.

(iii) Joint Secretary in charge of Fisheries in MFPI.

(iv) Joint Secretary in charge of Fisheries in DAC.

(v) Financial Adviser, DAC.

(vi) One person from among Board Members at (xiv) and (xv) to be nominated by the Board.

(vii) One person from among Board members at (xii) and (xiii) to be nominated by the Board.

4.1 The Standing Committee shall periodically review the progress in implementation of the decisions of the Board.

5. The Board will be an advisory body and will have the following functions :

(i) Recommend policies for promoting growth and development of deep sea fishing, brakish water prawn and fish farming and mariculture.

(ii) Suggest suitable development models and centres of excellence in different sub-systems of fisheries sector.

(iii) Identify socio-economic needs of fishermen and recommend appropriate programmes for their welfare.

(iv) Suggest measures to modernise fisheries sector through induction of new and appropriate technology, besides management skills.

(v) Suggest measures for better coordination between research, exploratory surveys, experimental fishing, product and market development including post-harvest technology so as to optimise the returns from commercial fishing in the EEZ.

(vi) Suggest ways and means for improving the management and operations of fishing harbours including harbour terminals.

(vii) Advise on measures required for surveillance of the EEZ for conservation, prevention of conflicts between different sectors and management of fishery resources.

(viii) Advise on formulation of a perspective plan for infrastructure facilities such as fishing harbours, fishery industrial estates and fishing vessel repair facilities.

(ix) Advise on service organisations required for supply of inputs for development of brackish and fresh water aquaculture and mariculture.

(x) Suggest mechanisms for development and management of reservoir fishery resources.

(xi) Advise on utilisation of low value marine fish and production and marketing of value added products both for domestic marketing and exports.

(xii) Suggest ways and means of increasing quantity and value of marine products export including better unit value realisation.

(xiii) Advise on the managerial and other requirements of Fisheries Development Corporation Fishermen Cooperatives/Fish Seed Development Corporations in order to streamline their work and performance.

(xiv) Recommend steps to be taken to create a cadre of able fishery operatives for manning sophisticated deep sea and resource specific vessels.

(xv) Advise to ensure better coordination between training and educational programmes in fisheries carried out by various institutions for augmenting technical/managerial/operational personnel required for the fishing industry.

(xvi) Advise on establishing a sound information and data base necessary for planning and control in production, processing and marketing.

(xvii) Suggest measures for growth and development of fishing industry and fisheries in Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.

(xviii) Advise on implementation of the recommendations of the Central Board of Fisheries.

(xix) Any other item assigned to the Board from time to time.

6. The Board will meet as often as necessary and at least once in six months.

7. A report on the activities of the NFAB shall be placed by it before the Central Board of Fisheries. An Annual Report shall be submitted by the NFAB to the DAC and the MFPI by the 30th September each year.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. TRIPATHY
Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1989